न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बाराबंकी।
उपस्थितः प्रतिमा श्रीवास्तव, (एच0जे0एस0)
सत्र वाद संख्याः– 1007/2025
CNR No- UPBB010035902025

उत्तर प्रदेश राज्य————————————————अभियोजन।

बनाम

1– मिथुन कुमार आयु करीब 26 साल पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी टेरासानी, थाना मसौली, जिला बाराबंकी।
2– रेखा देवी उर्फ रूबी आयु करीब 27 साल पत्नी स्व0 शिवमंगल निवासी– लक्षबर बजहा, थाना– सफदरगंज, जिला–बाराबंकी।

..............अभियुक्तगण।

अपराध संख्या– 074/2025
धारा–103(1), 61(2) बी0एन0एस0
थाना– सफदरगंज,
जिला–बाराबंकी।

<u>निर्णय</u>

1– प्रस्तुत प्रकरण में थाना–सफदरगंज, जिला बाराबंकी की पुलिस द्वारा अभियुक्तगण मिथुन कुमार व रेखा देवी उर्फ रूबी के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–074/2025, अन्तर्गत धारा– 103(1), 61(2) बीएनएस में आरोपपत्र प्रस्तुत कर अभियोजित एवं दण्डित किये जाने की याचना पर तत्कालीन विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या–18, बाराबंकी द्वारा अपराध में संज्ञान लेने के पश्चात अभियुक्तगण को अभियोजन प्रपत्रों की प्रतियां धारा–230 बीएन्एसएस के अन्तर्गत प्रदत्त करने के उपरांत मामले को अनन्यतः सत्र परीक्षणीय पाते हुये सत्र न्यायालय में परीक्षण हेतु दिनांक 22.05.2025 को उपार्पित किया गया जिसके आधार पर माननीय सत्र

न्यायालय बाराबंकी में सत्र वाद संख्या– 1007/2025 के रूप में राज्य प्रति मिथुन कुमार आदि संस्थित हुआ।

2– अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा गुरुसरन द्वारा इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना सफदरगंज, बाराबंकी में दर्ज करायी गयी कि दिनांक 07.02.2025 को उसका लड़का शिवमंगल0 चौहान जिसकी उम्र करीब 30 साल थी, लक्षबर बजहा चौराहे से रायपुर, सेमरी रोड पर उसके खेत में बने कटरा पर सोया हुआ था। सुबह 09.00बजे के आस–पास गुड्डू ने आकर सूचना दी कि शिवमंगल बोल नहीं रहा है, कोई आवाज नहीं आ रही, सटर बन्द है। इस सूचना पर वह अपने भतीजे राम सुमिरन व उसके बहनोई ठाकुर मौके पर जाकर सटर उठाकर देखे तो वह मृत्यु अवस्था में पड़ा था तथा उसके गले पर काले निशान पड़े थे तथा मुंह और नाक से खून निकल रहा था। उसका किसी से कोई रंजिश नहीं है और न ही कोई झगड़ा है। किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके पुत्र की हत्या कर दी है।

3– वादी मुकदमा गुरूसरन के उक्त लिखित तहरीर के आधार पर थाना सफदरगंज, जिला– बाराबंकी में मुकदमा अपराध संख्या–074/2025 धारा– 103(1), 61(2) बीएनएस विरूद्ध अभियुक्तगण मिथुन कुमार व रेखा देवी उर्फ रूबी के विरूद्ध अंकित करते हुए आरोपपत्र विचारण न्यायालय हेतु प्रेषित किया गया।

4– उभयपक्ष के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख पर मौजूद प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्तगण मिथुन कुमार व रेखा देवी उर्फ रूबी के विरूद्ध अन्तर्गत धारा– 103(1), 61(2) बीएनएस के अन्तर्गत आरोप दिनांकित 06.06.2025 को तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा विरचित किया गया जिससे अभियुक्तगण ने इन्कार कर विचारण की मांग की।

5– अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्तगण के विरूद्ध विरचित उक्त आरोपों को साबित करने हेतु मौखिक साक्ष्य में अभियोजन साक्षी संख्या–01 के रूप में रामसुमिरन, अभियोजन साक्षी संख्या–2 के रूप में ललित, अभियोजन साक्षी संख्या–3 के रूप में विवेक कुमार, अभियोजन साक्षी संख्या–4 के रूप में कांस्टेबल संतोष

कुमार यादव, अभियोजन साक्षी संख्या–5 के रूप में अंकित, अभियोजन साक्षी संख्या–6 के रूप में डा0 देवेश पटेल, अभियोजन साक्षी संख्या–7 के रूप में प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह व अभियोजन साक्षी संख्या–8 के रूप में उपनिरीक्षक यमुना प्रसाद पान्डेय को परीक्षित कराया गया है।

6– अभिलेखीय साक्ष्य में वादी मुकदमा द्वारा दी गयी लिखित तहरीर को प्रदर्श क–1, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–2, जीडी संख्या–22 प्रदर्श क–3, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क–4, फर्द चालान फील्ड यूनिट प्रदर्श क–5, नक्शानजरी प्रदर्श क–6, आरोप पत्र प्रदर्श क–7, पंचायतनामा को प्रदर्श–8, सीएमओ चिट्ठी प्रदर्श क–9, आरआई चिट्ठी प्रदर्श क–10, चालान नाश प्रदर्श क–11, फोटोनाश प्रदर्श क–12, नमूना मोहर प्रदर्श क–13, फर्द बरामदगी मोबाइल प्रदर्श क–14 व गिरफ्तारी मेमो प्रदर्श क–15 को साबित कराया गया है।

7– अभियोजन द्वारा दिनांक 15.04.2026 को अभियोजन साक्ष्य पूर्ण होने पर दिनांक 22.04.2026 को अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा–351 बीएनएसएस लेखबद्ध किया गया। अभियुक्तगण ने अपने बयान धारा–351 बीएनएसएस में अभियोजन कथानक को गलत बताया तथा साक्षियों द्वारा गलत साक्ष्य दिये जाने का कथन करते हुये स्वयं को निर्दोष बताया। पुलिस द्वारा तैयार किये गये 161 दं0प्र0सं0 के बयान मनगढ़न्त थे जिसकी पुष्टि स्वंय गवाह के विरोधाभासी बयानों से होता है।

8– सर्वप्रथम अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित साक्षियों की मुख्य परीक्षा में आये तथ्यों का संक्षिप्त विवरण दिया जाना उचित है–

9– अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0 1 रामसुमिरन ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 07.02.2025 को सुबह वह अपने घर पर बैठा था। उसके चाचा गुरुसरन ने बताया कि शिवमंगल बेड पर पड़ा है और उसके मुंह से खून आ रहा है तो वह अपने चाचा गुरुसरण के साथ व परिवार के लोगों के साथ चाचा गुरुसरन की दुकान में जहाँ शिवमंगल पड़ा था, पहुँचे तो

देखा कि शिवमंगल के गले में काला निशान बना था व मुँह से खून आ रहा था तो जान गए कि शिवमंगल की हत्या हो गई है। उसने किसी पर शक नहीं किया। उसे जानकारी नहीं है कि हत्या क्यूं हुई। इस मुकदमे की अभियुक्ता रेखा उर्फ रूबी, मृतक शिव मंगल की पत्नी है। मिथुन को भी वह नहीं जानता है। मृतक शिवमंगल और उसकी पत्नी रेखा रूबी के बीच कभी–कभी झगड़ा होता था। उसे यह नहीं मालूम है कि क्यू झगड़ा होता था। उसके चाचा गुरुसरन ने अपने लड़के शिवमंगल की हत्या किए जाने के संबंध में एक प्रार्थना पत्र थानाध्यक्ष सफदरगंज को अपने हस्ताक्षर बनाकर दिया था। वह भी साथ गया था। साक्षी ने बताया कि वादी मुकदमा गुरु सरन की अब मृत्यु हो चुकी है। साक्षी ने पत्रावली में संलग्न प्रार्थना पत्र पर अपने चाचा वादी मुकदमा गुरुसरन के हस्ताक्षर की तस्दीक की जिसे प्रदर्श क–1 के रूप में साबित किया।

10– अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0 2 ललित ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 07.02.2025 को सुबह उसके चाचा गुरुशरण, चचेरे भाई विवेक, अंकित व सुमिरन के साथ वह शिवमंगल की दुकान में उसे देखने पहुंचा था। शिवमंगल की किसी ने हत्या कर दी थी। शिवमंगल व उसकी पत्नी में कोई मारपीट नहीं होती थी। उसे शिवमंगल की पत्नी व अभियुक्त मिथुन के सम्बन्धों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। दरोगा जी ने उसका बयान नहीं लिया था। इस स्तर पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

11– अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0 3 विवेक कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि घटना को लगभग नौ महीने हो गए। उस दिन वह अपने घर पर था। गांव टोला में हल्ला हुआ कि शिवमंगल की हत्या हो गई है। उसके चचेरे भाई शिवमंगल गांव से बाहर चौराहे पर बनी दुकान में रहते थे। वह जहां काम करता है, पहले वहां बाराबंकी चला आया था कुछ समय बाद जब वह वापस गांव पहुंचा तो शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका था। उसने शिवमंगल का शव जहाँ पर पड़ा था, वहां नहीं देखा। शिवमंगल की ससुराल गांव टेरासानी में थी। उसे जानकारी नहीं है कि शिवमंगल तथा उसकी

पत्नी में आपस में किसी बात को लेकर विवाद था या नहीं। वह मिथुन को भी नहीं जानता है। दरोगा जी ने उसका कोई बयान नहीं लिया था। अभियोजन के अनुरोध पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

12— अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0 4 कांस्टेबल संतोष कुमार राय ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 08.02.2025 को वह थाना सफदरगंज में कांस्टेबल मोहर्रिर के पद व स्थान पर तैनात था। उस दिन समय 11.11 बजे गुरुशरण पुत्र राम नरायन द्वारा दी गई लिखित तहरीर जिसमें उसके पुत्र शिव मंगल की हत्या का विवरण था। प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 74/2025 अन्तर्गत धारा 103 (1) बी0एन0एस0 में कम्प्यूटर पर बोल बोल कर अंकित कराया था। साक्षी ने संलग्न पत्रावली प्रथम सूचना रिपोर्ट व जनरल डायरी क्रमशः को अपने हस्ताक्षर कर प्रमाणित किया जिस पर क्रमशः प्रदर्श क–2 व प्रदर्श क–3 डाला गया। इस संबंध में विवेचक ने उसका बयान लिया था।

13— अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0 5 अंकित ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 07.02.2025 को वह अपने चाचा गुरुशरण के साथ जहां शिवमंगल लेटा था, वहां पहुंचा तो देखा था कि उसका शव बेड पर है व मुंह से खून आ रहा था। शिवमंगल का उसके मायके टेरासानी के रहने वाले मिथुन से कोई चक्कर था या नहीं. उसे जानकारी नहीं है। शिवमंगल व उसकी पत्नी के बीच कोई मारपीट होती थी या नहीं, इसकी भी जानकारी उसे नहीं है। दरोगा जी ने उसका कोई बयान नहीं लिया था। अभियोजन के अनुरोध पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

14— अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0 6 डा0 देवेश पटेल ने अपनी मुख्या परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 07.02.2025 को वह सीएचसी जैदपुर जिला बाराबंकी से पोस्टमार्टम हेतु तैनात था। इस दिन शिवमंगल चौहान पुत्र गुरूशरण चौहान का शव विच्छेदन उसके द्वारा दिनांक समय 03.10 पीएम से प्रारम्भ करके 03.50 पीएम तक किया गया। पोस्टमार्टम स्टेनिंग शव के निचले हिस्से में मौजूद थी। शव में अकड़न ऊपर व नीचे दोनों हिस्सों में मौजूद थी। आँख व मुँह बंद था एवं बायें

गाल पर थूक का निशान था। चेहरा, होंठ व नाखून नीले पड़ गए थे।

<u>मृत्यु पूर्व चोटों के निशान–</u>

1. गले में फंदे का निशान जिसकी लम्बाई 33 सेमी, चौड़ाई 06 सेमी गले के चारो तरफ मौजूद था। थायरॉयड कार्टिलेज के ऊपर उपरोक्त निशान मौजूद था। फंदे का निशान बाये कान से 4 सेमी नीचे एवं दाहिने कान से 06 सेमी नीचे मौजूद था जिसकी दशा व रंग काली व कठोर थी। उपरोक्त चोट को खोलने पर अन्दर के ऊतक लाल रंग के थे। स्वरयंत्र, हायॉइड हड्डी, श्वासनली के रिंग 1 से 4 टूटे हुए थे।

2. सूजन 15X10 सेमी0 स्टर्नम हड्डी के ऊपर मौजूद थी।

3. सूजन 3X2 सेमी निचले होंठ के अन्दरूनी हिस्से में मौजूद थी।

4. खरोंच 4X2 सेमी पीठ के निचले हिस्से में मौजूद थी।

5. खरोंच 5X5 सेमी नाभि के पीछे की ओर मौजूद थी।

6. खरोंच 2X1 सेमी, दाहिने कान पर मौजूद हिस्से में मौजूद थी।

7. खरोंच 1X1 सेमी0 दाहिने गाल पर मौजूद थी।

8. खरोंच 2X1 सेमी0 बायीं कलाई पर मौजूद था।

9. सूजन 3X1 सेमी बायीं आँख के नीचे मौजूद थी।

10. खरोंच के साथ 5X3 सेमी बायी आँख के नीचे मौजूद थी।

चोट सं0 2 से 10 को खोलने पर अन्दर के ऊतक लाल थे। सिर की झिल्लियाँ एवं मस्तिष्क रक्ताधिक्य से युक्त थी। दोनों फेफड़े, आमाशय, तिल्ली, दोनों गुर्दे रक्ताधिक्य से युक्त थे। पेट में 400 मिली अधपचा भोजन था। यकृत रक्ताधिक्य से युक्त था। छोटी आँत में पचा हुआ खाना था, बड़ी आँत में मल एवं गैसें थीं। मृत्यु का संभावित समय आधे से एक दिन पूर्व का था। मृतक की मृत्यु गला घोंटने से श्वसन अवरुद्ध होने के कारण हुई थी। बिसरा को जाँच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया। समस्त चोटें मृत्यु पूर्व की थीं। पोस्ट मार्टम रिपोर्ट संख्या– 109/2025 उसने स्वयं के हस्ताक्षर

कर तैयार की थी। शव को सील बंद कर आवश्यक प्रपत्रों सहित कांस्टेबल निरंजन प्रजापति को सुपुर्द कर दिया था।साक्षी ने शव विच्छेदन आख्या स्वहस्तलेख व हस्ताक्षर में तैयार किया था। साक्षी ने शव विच्छेदन आख्या को देखकर अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त की जिसे प्रदर्श क–4 के रूप में साबित किया गया।

15– अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0 7 प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने अपनी मुख्या परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि घटना दिनांक 07.02.2025 की है। वादी के प्रार्थनापत्र पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद विवेचना उसके द्वारा ग्रहण की गयी। विवेचना प्रारम्भ करते हुए नकल चिक, नकल रपट का अवलोकन किया तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक का बयान सीडी में किता किया। साक्षी ने फील्ड यूनिट द्वारा तैयार फर्द चालान का अवलोकन किया जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया। इसके पश्चात वादी की निशादेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर मानचित्र तैयार किया। साक्षी ने नक्शानजरी को देखकर अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त की जिसे प्रदर्श क–6 डाला गया। दिनांक 04.03.2025 को पीएम कर्ता डा0 देवेश पटेल के बयान लेकर सीडी में इंद्राज किया। दिनांक 08.03.2025 को अभियुक्त मिथुन के गांव टेरासानी पहुंचकर स्वतंत्र साक्षी राजू, कैलाश तथा दयाराम के बयान दर्ज किये। अब तक की तमामी विवेचना एवं संकलित साक्ष्यों से मुकदमा उपरोक्त में नामित अभियुक्तगण रेखा देवी उर्फ रूबी व मिथुन कुमार के विरुद्ध धारा 103(1), 61(2) बीएनएस का अपराध बखूबी पाया गया। साक्षी ने आरोप पत्र को देखकर अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त की जिसे प्रदर्श क–7 के रूप में साबित किया गया।

16– अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0 8 यमुना प्रसाद पान्डेय (उपनिरीक्षक) ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 07–02–2025 को वह थाना सफदरगंज, बाराबंकी में उपनिरीक्षक पद पर तैनात था। उस दिन उसने सूचना दाता गुरुगरण द्वारा दी गई लिखित तहरीर के आधार पर उसके पुत्र मृतक शिवमंगल चौहान, निवासी लक्ष्बर बजहा, थाना सफदरगंज, बाराबंकी

का पंचायतनामा पंचान नियुक्त कर, भरकर और पंचानों को पढ़कर, सुनाकर उसके हस्ताक्षर कराकर तैयार किया था और अंत में अपने हस्ताक्षर बनाए थे। साक्षी ने पंचायतनामा पर बने अपने हस्ताक्षर की पहचान की, जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया। पंचायतनामा संबंधी अन्य प्रपत्र भी उसके द्वारा तैयार किए गए थे जिन पर उसने अपने हस्ताक्षर बनाए थे। साक्षी ने पत्रावली में संलग्न सीएमओ चिट्ठी, आर0आई0 चिट्ठी, चालान नाश, फोटो नाश, नमूना मुहर पर बने अपने हस्ताक्षर की पहचान की, जिन पर प्रदर्श क–9, प्रदर्श क–10, प्रदर्श क–11, प्रदर्श क–12 व प्रदर्श क–13 डाला गया। दिनांक 11–02–2075 को मुखबिर की सूचना पर उसने मय पुलिसगण के साथ अभियुक्त मिथुन कुमार को रहरामऊ के पास से पकड़ा था जिसकी जामा तलाशी में एक अदद मोबाइल फोन (Oppo) एक जैकेट का सफेद बटन जिसमें चौकोर डिजाइन बरामद किया था। पूछताछ में अभियुक्त मिथुन ने बताया था कि बरामद बटन मृतक शिवमंगल के जैकेट का है। उसकी हत्या उसने दिनांक 6/7 फरवरी 2025 की रात में मृतक की पत्नी रेखा उर्फ रूबी के कहने पर लाल रंग के स्टाल कपड़े से गला घोटकर किया था। स्टाल को कब्जा पुलिस लेकर मौके पर गिरफ्तारी मेमो और फर्द बरामदगी उसने लिखकर अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किये थे जिस पर अपने सहित संबंधित के हस्ताक्षर बनाए थे। साक्षी ने पत्रावली में संलग्न फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी मेमो प्रपत्र पर बने अपने हस्ताक्षर की पहचान की, जिन पर क्रमशः प्रदर्श क– 14 व प्रदर्श कं–15 डाला गया।

17– बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की ओर से बचाव साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए डी0डब्लू0–1 शिवसरन व डी0डब्लू0–2 दयाराम को प्रस्तुत किया गया है।

18– डी0डब्लू0–1 शिवसरन ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि वह मिथुन का छोटा भाई है। वह ग्लोरिया इंजीनियरिंग कंपनी में ट्रैक्टर चलाता है। दिनांक 10.02.2025 को वह वहीं कंपनी में था। उसके भाई मिथुन तिंदौला में लेबर का काम करता था। वह जब शाम को ड्यूटी से छूटा तो उसके भाई मिथुन के साथ काम करने वाले दयाराम ने उसके घर पर फोन किया तो उसके चचेरे भाई ने फोन उठाया तो बताया कि उसके

भाई को कुछ लोग सादी वर्दी में आए और सीबीआई ऑफिसर बताते हुए शाम 4 बजे उठा ले गए। उसके बाद वह सहादतगंज चौकी पर गया तो पुलिस वालों ने वहाँ कहा कि उसका भाई बालिग है, 24 घण्टे इंतजार कर लो। हम लोगों ने रात भर अपने भाई को ढूंढा लेकिन कुछ पता नहीं चला। वह पुनः बाराबंकी आया और पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया तो उन्होंने कहा कि शाम तक इंतजार करो, यदि पुलिस या CBI ले गई होगी तो फोन आएगा, लेकिन कोई फोन नहीं आया।

19— डी0डब्लू0—2 दयाराम ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 10 फरवरी को वह मिथुन के साथ तिंदौला में मजदूरी का काम कर रहा था। शाम करीब 4 बजे एक टाटा सूमो सफेद रंग की गाड़ी जिस पर पुलिस लिखा था जिसमें 5 लोग सादी वर्दी में आए। बारी बारी से उन सभी मजदूरी करने वालों से नाम पूछा। मिथुन द्वारा अपना नाम बताये जाने पर उसे अपने साथ ले गए। इसके बाद मिथुन के घरवालों को उसने जरिए मोबाइल इस घटनाक्रम की सूचना दी। वह मिथुन को ढूंढने नहीं गया था, उसके घरवाले ढूंढने गए थे और थाने पर प्रार्थना पत्र भी दिया था।

20— अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व अभियोजन की ओर से प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) के तर्क सुना व पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

21— अभियोजन का तर्क है कि अभियुक्ता रूबी का अवैध सम्बन्ध शिव मंगल से थे तथा उनके मध्य काफी अवधि से फोन पर बात होती थी। मृतक शिव मंगल का अपनी पत्नी से विवाद था जो अपने मायके में रहती थी। रूबी के कहने पर अभियुक्त मिथुन द्वारा शिवमंगल की हत्या किये जाने का पर्याप्त साक्ष्य है। मृतक शिवमंगल की हत्या की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होती है। अभियोजन साक्ष्य से अभियोजन कथानक प्रमाणित है। उक्त आधार पर अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किये जाने की याचना की गयी।

22— अभियुक्तगण की ओर से तर्क किया गया कि अभियोजन द्वारा गलत तथ्यों पर मामले में नामित किया गया है जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज करायी गयी है तथा वाद मुकदमा द्वारा अपनी तहरीर में किसी से

रंजिश होना या किसी पर शक न होने का स्पष्ट उल्लेख किया है। कथित घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है। अभियोजन के साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अभियोजन के मौखिक साक्ष्य से कथित घटना की पुष्टि नहीं होती है न ही कोई ऐसी परिस्थितिजन्य साक्ष्य है जिसके आधार पर अभियुक्तगण की संलिप्तता परिलक्षित होती हो। अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर, अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जाना विधि सममत नहीं है। उपरोक्त आधार पर अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने की याचना की गयी।

23— उपरोक्त तर्क के आलोक में सर्वत प्रथम सूचना रिपोर्ट के सन्दर्भ में विवेचना किया जाना उचित होगा।

24— प्रथम सूचना आख्या के सन्दर्भ मे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **1— भजन सिंह उर्फ हरभजन सिंह व अन्य बनाम राज्य हरियाणा 2011(7) एससीआर 1**, **2—अशोक कुमार चौधरी बनाम स्टेट आफ बिहार 2008 (61) ए0सी0सी0 972** तथा **3—अनिल रानी बनाम स्टेट आफ बिहार (2001) 7 एस0सी0सी0 318** में यह अवधारित किया गया है कि—प्रथम सूचना रिपोर्ट बिलम्ब से लिखाये जाने के कारण अभियोजन पक्ष के विरूद्ध कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, यदि अभियोजन पक्ष द्वारा विश्वसनीय साक्ष्य के माध्यम से देरी का कारण स्पष्ट कर दिया गया हो।

25— वादी मुकदमा गुरूसरन द्वारा प्रदर्श क—1 तहरीर इस आशय से दी गयी कि दिनांक 07.02.2025 को उसका लड़का शिवमंगल चौहान जिसकी उम्र करीब 30 साल थी, लक्षबर बजहा चौराहे से रायपुर, सेमरी रोड पर उसके खेत में बने कटरा पर सोया हुआ था। सुबह 09.00बजे के आस—पास गुड्डू ने आकर सूचना दी कि शिवमंगल बोल नहीं रहा है, कोई आवाज नहीं आ रही, सटर बन्द है। इस सूचना पर वह अपने भतीजे राम सुमिरन व उसके बहनोई ठाकुर मौके पर जाकर सटर उठाकर देखे तो वह मृत्यु अवस्था में पड़ा था तथा उसके गले पर काले निशान पड़े थे तथा मुंह और नाक से खून निकल रहा था। उसका किसी से कोई रंजिश नहीं है और

न ही कोई झगड़ा है। किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके पुत्र की हत्या कर दी है।

26— कथित घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट वादी की तहरीर प्रदर्श क—1 के आधार पर थाना सफदरगंज बाराबंकी में दिनांक 08.02.2025 को समय 11.11बजे दर्ज की गयी तथा उसका उल्लेख थाने की जीडी में कम संख्या—22 पर समय 11.11 बजे दिनांक 08.02.2022 को किया गया। वादी मुकदमा को घटना की सूचना 9.00बजे मिलने का उल्लेख तहरीर प्रदर्श क—1 में किया है। थाने से घटनास्थल की दूरी 6 किलोमीटर दर्शित की गयी है। तहरीर प्रदर्श क—1 पी0डब्लू0—1 रामसुमिरन द्वारा प्रमाणित किया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि वादी मुकदमा की मृत्यु होने के कारण उसे न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं कराया जा सका है। पी0डब्लू0—1 रामसुमिरन, वादी मुकदमा का भतीजा है। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू0—4 द्वारा चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट व कायमी जीडी को प्रदर्श क—2 व 3 के रूप में प्रमाणित किया गया है।

27— उपरोक्त आधार पर यह प्रमाणित है कि वादी मुकदमा द्वारा घटना की सूचना मिलने के तत्काल बाद पुलिस को दी गयी और उसके तहरीर प्रदर्श क—1 के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज की गयी। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने में किसी प्रकार का बिलम्ब कारित नहीं दर्शित हो रहा है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट तत्काल दर्ज कराया जाना प्रमाणित है।

28— बचाव पक्ष के तर्क के आलोक में देखा जाना है कि क्या मृतक शिवमंगल की मृत्यु हत्या अथवा आत्महत्या से हुयी या स्वाभाविक मृत्यु हुयी ?

29— मृतक शिवमंगल की मृत्यु के सन्दर्भ में वादी द्वारा अपनी तहरीर में उल्लिखित किया गया है कि वादी जब अपने अन्य परिवारीजन के साथ सूचना पर मौके पर जाकर सटर उठाकर देखा तो वह मृत्यु अवस्था में पड़ा था तथा उसके गले पर काले निशान पड़े थे तथा मुंह और नाक से खून निकल रहा था। उसका किसी से कोई रंजिश नहीं है और न ही कोई झगड़ा है। किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके पुत्र की हत्या कर दी है।

30— पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतक शिवमंगल का प्रदर्श क—4 के रूप में पत्रावली पर उपलब्ध है जिसे अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0—6 डा0 देवेश पटेल द्वारा प्रमाणित किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक शिवमंगल के शरीर पर मृत्युपूर्व निम्न चोटें पायीं गयीं—

1. गले में फंदे का निशान जिसकी लम्बाई 33 सेमी, चौड़ाई 06 सेमी गले के चारो तरफ मौजूद था। थायरॉयड कार्टिलेज के ऊपर उपरोक्त निशान मौजूद था। फंदे का निशान बाये कान से 4 सेमी नीचे एवं दाहिने कान से 06 सेमी नीचे मौजूद था जिसकी दशा व रंग काली व कठोर थी। उपरोक्त चोट को खोलने पर अन्दर के ऊतक लाल रंग के थे। स्वरयंत्र, हायॉइड हड्डी, श्वासनली के रिंग 1 से 4 टूटे हुए थे।
2. सूजन 15X10 सेमी0 स्टर्नम हड्डी के ऊपर मौजूद थी।
3. सूजन 3X2 सेमी निचले होंठ के अन्दरूनी हिस्से में मौजूद थी।
4. खरोंच 4X2 सेमी पीठ के निचले हिस्से में मौजूद थी।
5. खरोंच 5X5 सेमी नाभि के पीछे की ओर मौजूद थी।
6. खरोंच 2X1 सेमी, दाहिने कान पर मौजूद हिस्से में मौजूद थी।
7. खरोंच 1X1 सेमी0 दाहिने गाल पर मौजूद थी।
8. खरोंच 2X1 सेमी0 बायीं कलाई पर मौजूद था।
9. सूजन 3X1 सेमी बायीं आँख के नीचे मौजूद थी।
10. खरोंच के साथ 5X3 सेमी बायी आँख के नीचे मौजूद थी।

चिकित्सक साक्षी पी0डब्लू0—6 द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि गला घोटने से मृतक की मृत्यु होना सम्भावित है। मृतक के शरीर पर आयी चोटों से मृतक की मृत्यु सम्भावित नहीं है। बिसरा सुरक्षित रखे जाने का कथन किया है परन्तु पत्रावली पर अभियोजन की ओर से कोइ बिसरा रिपोर्ट संलग्न नहीं किया गया है न ही इस सन्दर्भ में कोई तर्क ही किया गया है। उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर मृतक शिवमंगल की मृत्यु हत्या के कारण होना प्रमाणित है।

31— बचाव पक्ष के तर्क के आलोक में देखा जाना है कि क्या अभियुक्तगण का कोई हेतुक मृतक शिवमंगल की हत्या कारित करने का था ?

32— वादी मुकदमा गुरूसरन द्वारा प्रदर्श क—1 तहरीर में वादी द्वारा उल्लिखित किया गया है कि जब वह मौके पर गया तो देखा कि शिवमंगल मृत्यु अवस्था में पड़ा था तथा उसके गले पर काले निशान पड़े थे तथा मुंह और नाक से खून निकल रहा था। उसका किसी से कोई रंजिश नहीं है और न ही कोई झगड़ा है। किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके पुत्र की हत्या कर दी है। दौरान विवेचना यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक शिवमंगल की अपनी पत्नी से विवाद था और वह मायके में रहती थी तथा शिवमंगल का पुत्र शिवमंगल के साथ रहता था। मृतक शिवमंगल की पत्नी अभियुक्ता रूबी से अभियुक्त मिथुन की बातचीत होती थी और अभियुक्ता द्वारा मिथुन से मिलकर, अपने पति शिवमंगल की हत्या करा दी गयी।

33— उक्त तथ्य के आलोक में पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्य का परिशीलन किया जाना आवश्यक है। पी0डब्लू0—1 रामसुमिरन द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह मिथुन को नहीं जानता है, शिवमंगल व उसकी पत्नी रेखा उर्फ रूबी के मध्य विवाद होता था, झगड़ा क्यूं होता था उसे नहीं मालूम। साक्षी ने तहरीर प्रदर्श क—1 अपने चाचा गुरूसरन द्वारा दर्ज कराये जाने व तहरीर पर उनके हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने ऐसा कोई कथन नही किया है जिससे यह परिलक्षित होता हो कि मृतक शिवमंगल की हत्या अभियुक्ता रूबी द्वारा सह अभियुक्त मिथुन के साथ मिलकर की गयी हो। पी0डब्लू0—2 ललित, पी0डब्लू0—3 विवेक कुमार, पी0डब्लू0'5 अंकित द्वारा मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि शिवमंगल की पत्नी रेखा व मिथुन के सम्बन्धों में कोई जानकारी नहीं है। उनके मध्य कोई विवाद था यह भी जानकारी नहीं है। पी0डब्लू0—5 द्वारा अभियुक्ता रेखा उर्फ रूबी को अपने मायके में रहने का कथन किया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि उक्त तीनों साक्षीगण को अभियोजन की ओर से पक्षद्रोही कर प्रतिपरीक्षा की गयी है, परन्तु प्रतिपरीक्षा में ऐसी कोई साक्ष्य नहीं पायी गयी

जिससे मृतक शिवमंगल व अभियुक्ता रूबी के मध्य कोई विवाद रहा हो और अभियुक्ता रूबी द्वारा मिथुन से मिलकर मृतक शिवमंगल की हत्या कारित की गयी हो।

34— विवेचक पी0डब्लू0—7 सुधीर कुमार सिंह द्वारा मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि सीडीआर से ज्ञात हुआ कि मृतक की पत्नी रेखा व मिथुन के मोबाईल पर अत्यधिक वार्ता हुयी है। दिनांक 06.02.2025 को मिथुन की लोकेशन ग्राम रसौली में समय 22.33बजे पायी गयी है। पत्रावली पर कोई सीडीआर उपलब्ध नहीं है। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि मृतक की पत्नी लड़ाई झगड़ा के कारण मायके चली गयी थी। प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया है कि सीडीआर के समर्थन में धारा 65बी का प्रमाणपत्र नहीं ले पाया था। अभियुक्त की लोकेशन घटनास्थल के एरिया में स्थित टॉवर एरिया में पायी गयी थी।

35— उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना से यह प्रमाणित नहीं हो रहा है कि अभियुक्तगण का कोई हेतुक मृतक शिवमंगल की हत्या कारित करने का था।

36— बचाव पक्ष का तर्क है कि कथित घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है न ही कोई परिस्थितिजन्य साक्ष्य है।

37— इस सन्दर्भ में पत्रावली के अवलोकन से यह परिलक्षित हो रहा है कि पी0डब्लू0—1 रामसुमिरन पी0डब्लू0—2 ललित, पी0डब्लू0—3 विवेक व पी0डब्लू0—5 अंकित मृतक शिवमंगल के चचेरे भाई हैं। इन साक्षीगण द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है तथा अभियोजन द्वारा जो प्रतिपरीक्षा मृतक शिवमंगल की हत्या के सन्दर्भ में की गयी है, उसमें ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जिससे अभियुक्तगण की संलिप्तता कथित घटना में दर्शित होती हो। पी0डब्लू0—1 रामसुमिरन पी0डब्लू0—2 ललित, पी0डब्लू0—3 विवेक व पी0डब्लू0—5 अंकित कथित घटना के स्वतन्त्र साक्षी नहीं हैं।

38— सम्पूर्ण पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक साक्ष्य व अभिलेखीय साक्ष्य के अवलोकन से मामले में कोई ऐसी परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी नहीं है जिसके आधार पर यह अवधारित किया जा सके कि अभियुक्तगण कथित घटना

की तिथि, समय व स्थान पर उपस्थित रहें और उन्हें किसी स्वतन्त्र साक्षी द्वारा देखा ही गया हो। मृतक शिवमंगल की पत्नी रेखा उर्फ रूबी का अवैध सम्बन्ध अभियुक्त मिथुन से रहा इस सन्दर्भ में भी कोई साक्ष्य नहीं है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा मृतक शिवमंगल की हत्या कारित करने का न तो मौखिक साक्ष्य है न ही परिस्थितिजन्य साक्ष्य है।

39— औपचारिक साक्षी के रूप में पी0डब्लू0—4 द्वारा चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट व कायमी जीडी को प्रमाणित किया गया है। पी0डब्लू0—7 विवेचक द्वारा मामले में विवेचना किया जाना तथा फील्ड यूनिट, नक्शा नजरी व आरोपपत्र प्रदर्श क—5, 6 व 7 को प्रमाणित किया गया है।

40— पी0डब्लू0—8 यमुना प्रसाद पाण्डेय उपनिरीक्षक द्वारा पंचायतनामा, शव विच्छेदन हेतु तैयार प्रपत्रों व तैयार किये गये फर्द को प्रदर्श क—9 ता 15 के रूप में प्रमाणित किया गया है।

41— पी0डब्लू0—6 चिकित्सक साक्षी द्वारा शव विच्छेदन आख्या को प्रमाणित किया गया है तथा मृतक की मृत्यु गला घोटने से होने का कथन किया है परन्तु, मृतक की गला अभियुक्तगण द्वारा ही दबाकर हत्या की गयी, इस सन्दर्भ में न तो कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य है न ही परिस्थितिजन्य साक्ष्य उपलब्ध है। अतः शव विच्छेदन आख्या के आधार पर अभियुक्तगण को मृतक शिवमंगल की हत्या करने का अभियोजन कथानक संदिग्ध है।

42— उपरोक्त समस्त मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्य की विवेचना उपरांत न्यायालय का मत है कि अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं हैं। तहरीर में किसी व्यक्ति से रंजिश या शक का भी उल्लेख नहीं है। अभियुक्तगण की कथित घटनास्थल पर उपस्थिति भी किसी प्रकार से प्रमाणित नही हो रही है। अभियुक्ता रेखा उर्फ रूबी व अभियुक्त मिथुन के मध्य कोई अवैध सम्बन्ध रहा हो, यह तथ्य भी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं है। कथित घटना का कोई प्रत्यक्ष/स्वतन्त्र साक्षी नहीं है न ही कोई परिस्थितिजन्य साक्ष्य ही उपलब्ध है। ऐसी दशा में तथ्य के साक्षीगण के पक्षद्रोही होने व अन्य कोई प्रमाणित साक्ष्य न होने के आधार पर, अभियोजन पक्ष

अपना कथानक सन्देह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतया असफल रहा है तथा अभियुक्तगण को सन्देह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित व विधि सम्मत होगा

आदेश

(ए) अभियुक्तगण मिथुन कुमार व रेखा देवी उर्फ रूबी को धारा 103(1), 61(1) बी एन एस के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

(बी) अभियुक्तगण जमानत पर हैं तथा न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं। अभियुक्तगण के जमानत प्रपत्र निरस्त कर प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

(सी) अभियुक्तगण को निर्देशित किया जाता है कि धारा 485 बीएनएसएस के प्राविधान के अनुसार उच्चतर/अपीलीय न्यायालय द्वारा उपसंजात होने की अपेक्षा करने पर उच्चतर/अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु मु0 20,000/–20,000/–रूपये की एक–एक प्रतिभू बंधपत्र तथा समतुल्य राशि का बन्धपत्र निर्णय के दस दिवस के अन्दर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें, जो केवल छः माह के लिये प्रभावी रहेगा तत्पश्चात प्रतिभू स्वयं उन्मोचित होगें।

(डी) प्रकरण से सम्बन्धित यदि कोई माल मुकदमा हो तो उसे अपील अवधि उपरांत नियमानुसार निस्तारित किया जाये।

(प्रतिमा श्रीवास्तव)
दिनांक 10.06.2026 सत्र न्यायाधीश,
बाराबंकी
J.O.Code 1899

उक्त निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर सुनाया गया।

(प्रतिमा श्रीवास्तव)
दिनांक 10.06.2026 सत्र न्यायाधीश,
बाराबंकी
J.O.Code 1899